FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO)

ज अदालत........बायतु........मुकाम........

........बरकत वगैरा........बनाम........रावताराम वगैरा........

किस्म मुकदमा........न.प्र. आवेदन........नं. 204/15........सन् 2019........

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/6/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28/6/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	223 20/6/19
28/06/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली कीया गया। विप्रार्थीगण संख्या-34 की ओर से वकील श्री नरपत पुनड़ द्वारा वकालतनामा पेश कीया गया जिसे शामिल पत्रावली कीया गया। सम्मान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 15/10/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
15/10/19	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-34 के वकील उप०। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण संख्या-1 से 33 व 35 से 48 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी संख्या-1 से 33 व 35 से 48 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-34 के अधिवक्ता बेकराम	

(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner

/वाद/2019/ 2

सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेत सेढा मेढ आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के बीच पुरानी मार्ग व कोठे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। व विप्रार्थीगण बरसात होने पर प्रार्थी के खेत में जबरदस्ती काश्त कर लेते है। इस कारण प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के बीच खेत के सेढो को लेकर तनाजा बना रहता है। इसलिए प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की पक्की नेपामबन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेपामबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपामबन्दी आदेश किया जावे। तथा विप्रार्थी संख्या-34 के अधिवक्ता द्वारा दोहराते अपनी बहस में निवेदन किया कि विप्रार्थी संख्या-34 अपनी खातेदारी भूमि में ही काश्त करता है तथा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस व आवेदन में कहे गये तथ्य मनगढन्त व बनावटी है नहीं विप्रार्थी संख्या-34 द्वारा प्रार्थी का सेढा तोड़ा तथा न ही प्रार्थी के खातेदारी खेत में काश्त की गई यदि प्रार्थी अपने खातेदारी खेत की पक्की नेपामबन्दी करवाता है तो पहले विप्रार्थी संख्या-34 के खातेदारी खेत का सीमाज्ञान राजस्व कर्मचारियों से करवाये तथा बाद में प्रार्थी के खेत की पक्की नेपामबन्दी की जावे तो विप्रार्थी संख्या-34 को कोई आपत्ति नहीं है। हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनने व पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकार्ड का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के बाद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेपामबन्दी आवेदन को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जायल को कमिश्नर व सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर द्वारा गठित टीम द्वारा विप्रार्थी संख्या-34 के खातेदारी खेत का सीमाज्ञान करे तथा उसके बाद प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपामबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क रुपये-500/- जमा कराकर करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
15.10.2019

सहायक कलेक्टर ... नागौर

२२८/०७
1M/5

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क / वाद / 2019 / 796

दिनांकः– 18/10/19

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

बरकत पुत्र हुसैन जाति तेली
निवासी बायतु भीमजी

रावताराम पुत्र जोगाराम वगैरा
निवासी बायतु भीमजी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 204 / 2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा नाईयों की ढ़ाणी पटवार हल्का बायतु भीमजी तहसिल बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 416, 418, 422 रकबा क्रमशः 06.00,81.12, 13.19 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 797–801

दिनांकः– 18/10/19

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी बायतु भीमजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री बरकत पुत्र हुसैन
4. विप्रार्थीगण रावताराम पुत्र जोगाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु / गिड़ा

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.24 19:16:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: